संख्या-522/चौवालिस-1-1980-32/77

प्रेषक,

श्री सुमन कुमार मॉडवल,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

राज्य के समस्त सार्वजनिक उद्योगों/निगमों के
अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशकगण।

लखनऊ : दिनांक 18 अप्रैल, 1980

विषय :- राज्य के सार्वजनिक उद्योगों/निगमों के सेवकों को इम्प्लाइज प्रावीडेन्ट फण्ड एण्ड फैमिली पैंशन फण्ड ऐक्ट, 1952 के अन्तर्गत सुविधाएँ प्रदान किया जाना।

महोदय,

सार्वजनिक उद्योग ब्यूरो अनुभाग-1।

साविधिक निगमों से सम्बन्धित अधिनियमों/नियमों तथा कम्पनीज ऐक्ट, 1956 अथवा सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन ऐक्ट 1860 के अन्तर्गत पंजीकृत निगम/निकायों के आर्टिकल्स आफ एसोसियेशन के सम्बन्धित आर्टिकिल, उ0प्र0 सार्वजनिक निगमों पर नियन्त्रण अधिनियम, 1975 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 41, 1975) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्यपाल महोदय यह निदेश देते हैं कि राज्य के सार्वजनिक उद्योगों/निगमों के सेवकों को इम्पलाइज प्रावीडेन्ट फण्ड एण्ड फैमिली पेंशन फण्ड ऐक्ट, 1952 के अन्तर्गत सुविधाएं प्रदान करने के विषय में, निम्नलिखित प्रक्रिया का अनुपालन तात्कालिक प्रभाव से, सुनिश्चित किया जाय :-

1- (अ) राज्य के जिन सार्वजनिक उद्योगों/निगमों पर इम्प्लाइज प्रावीडेन्ट फण्ड एण्ड फैमिली पेंशन फण्ड ऐक्ट, 1952 अनिवार्य रूप से लागू है, उनके सेवकों को उक्त अधिनियम के अधीन देय सुविधाएं, निर्धारित दर से अधिक दर पर न प्रदान की जायें।

(ब) उन प्रतिष्ठानों पर, जहाँ सेवकों को दोहरी सुविधा तथा पेंशन तथा अन्य टर्मिनल बेनीफिट्स प्रदान किये जा रहे हों, अथवा रुपया 1600/- प्रतिमाह से अधिक मूल वेतन पाने वाले सेवकों को, अनुवर्ती उप पैरा-2, खण्ड (ग) व (ङ) में उल्लिखित प्रतिबन्धों के विपरीत अतिरिक्त सुविधाएं प्रदान की जा रही हों

तो इन सुविधाओं को समाप्त किया जाय।

2- राज्य के जिन सार्वजनिक उद्योगों/निगमों पर इम्प्लाइज प्रावीडेन्ट फण्ड ऐण्ड फैमिली पेंशन फण्ड ऐक्ट, 1952 अनिवार्य रूप से लागू नहीं है, उनके सेवकों को उक्त सुविधाएं निम्नलिखित प्रतिबन्धों के साथ उपलब्ध करायी जा सकती हैं:-

(क) ये सुविधाएं राज्य के सार्वजनिक उद्योगों/निगमों के केवल उन्हीं सेवकों को प्रदान की जा सकेगी जो सार्वजनिक उद्योग/निगम की सेवा में आने से पूर्व, किसी अन्य सार्वजनिक या निजी उद्योग में उक्त सुविधाओं का उपयोग कर रहे थे।

(ख) किसी भी दशा में नियोजक का अंशदान उस दर से अधिक नहीं होगा जो उक्त अधिनियम की धारा-6 में, समय-समय पर प्राविधानित की जाये।

(ग) यदि रुपया 1600/- प्रतिमाह से अधिक मूल वेतन पाने वाले सेवकों को यह सुविधा प्रदान की जाय तो नियोजक के अंशदान की सीमा वही होगी जो रुपया 1600/- प्रतिमाह वेतन पाने वाले सेवकों को देय है।

(घ) इस सुविधा का उपयोग करने वाले सेवक निर्धारित अवधि से पूर्व धनराशियों का आहरण, अधिनियम की धारा 69 की उपधारा (3) के अधीन ही कर सकेंगे।

(ङ) इन सुविधाओं को पाने वाले सेवकों को अन्य प्रकार के टर्मिनल बेनीफिट्स अनुमन्य नहीं होंगे।

भवदीय,
सुमन कुमार मॉडवल
सचिव।

संख्या 522 (1)/चौवालिस-1-1980-32/77-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) शासन के सम्बन्धित सचिव एवं विशेष सचिवगण।
(2) सचिवालय के सम्बन्धित अनुभाग
(3) सार्वजनिक उद्योग ब्यूरो अनुभाग-2

आज्ञा से,
बलराम बिहारी लाल भारद्वाज
संयुक्त सचिव।